पीड़ित घर खरीदारों के लिए राहत

रेरा के अधिकारी ही सर्टिफिकेट मामलों की सुनवाई करेंगे, 17 फरवरी से शुरुआत

सिटी रिपोर्टर | पटना

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार अब देश भर में स्थापित प्राधिकरणों में पहला रेरा होने का गौरव प्राप्त कर चुका है। रेरा के अधिकारियों द्वारा ही सर्टिफिक्केट मामलों की सुनवाई की जाएगी। इससे आम लोगों को बड़ी सहुलियत मिलेगी। जिनकी रकम फंस गई है ऐसे पीड़ित घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। घर-फ्लैट व प्लॉट बुकिंग में धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों व प्रमोटरों पर भी सख्ती होगी और इसने खिलाफ सुनवाई करने में तेजी आएगी। इससे पहले अबतक यह पूरी प्रक्रिया जिला प्रशासन की ओर से किया जाता था। लेकिन अब रेरा के अधिकारी भी सुनवाई के लिए अधिकृत किए गए हैं। इस तरह की पहली सुनवाई 17 फरवरी को ललित भवन स्थित प्राधिकरण के जन सरोकार केंद्र में होगी। राज्य सरकार ने प्राधिकरण के अनुरोध पर बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत संदर्भित मामलों की सुनवाई के लिए रेरा के दो वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमाणपत्र अधिकारी के रूप में अधिसूचित करने की अनुमति दी है।

25 लाख से अधिक के मामले में सुनवाई : रेरा बिहार के सचिव आलोक कुमार को ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। इसमें वसूली की राशि 25 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए। जबकि इससे कम वसूली राशि वाले प्रमाणपत्र मामलों की सुनवाई वरिष्ठ भू- राजस्व पदाधिकारी अमरेंद्र शाही द्वारा की जाएगी। पटना जिला प्रशासन ने पहले ही रेरा अधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्र अधकिारी के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे 90 मामलों को सुनवाई के लिए अधिकृत कर दिया है। 1125 मामलों को जिला प्रशासन को हस्तांतरित किया गया है।

कब होता है सर्टिफिकेट केस

सर्टिफिकेट केस तब किया जाता है, जब संबंधित एजेंसी अपना बकाया नहीं वसूल कर पा रही हो। बकाया वसूलने में अक्षम होने पर एजेंसी उपायुक्त के अधीन जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के पास मामला दर्ज कराती है। बकायेदार का नाम, पता और वसूली की राशि का ब्योरा जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को भेजा जाता है।

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का पालन न करने की स्थिति में, दोषी प्रमोटरों द्वारा मामलों को लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत जिला प्रशासन को स्थानांतरित कर दिया जाता था। लेकिन अब नए बदलावों के तहत, इन मामलों की सुनवाई भी रेरा के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

-विवेक कुमार सिंह, अध्यक्ष, रेरा बिहार